राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 44/2025 अपील

मुमताज बानो पिता अब्दुल शकूर पति लतीफ मोहम्मद देशवाली, निवासी नई आबादी, माण्डलगढ, तहसील माण्डलगढ, जिला भीलवाडा

बनाम

1. शाहीन बानू पुत्री जमील मोहम्मद पत्नी अफजल अगवान निवासी मस्जिद के पास, नई आबादी, माण्डलगढ, जिला भीलवाडा
2. जमील मोहम्मद पिता अब्दुल शकूर देशवाली, निवासी नई आबादी, माण्डलगढ, जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, माण्डलगढ, जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरणकरण सं. 2063 दिनांक 07/03/2025 ग्राम माण्डलगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा बाबत् आराजी संख्या 1438/418 रकबा 0.2104 हैक्टेयर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री आर0सी0 सारस्वत, अपलाण्ट अधिवक्ता
2. राजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी–3 की ओर से

निर्णय

दिनांक :– 06/04/2026

अपीलाण्ट की अपील अंतर्गत धारा 75 रा0भू0अधि0 1956 अनुसार राजस्व ग्राम माण्डलगढ पटवार हल्का माण्डलगढ तहसील व जिला भीलवाडा में राजस्व आराजी सं. 1438/418 रकबा 0.2104 हैक्टेयर किस्म बंजड खातेदार तमीज वानो पत्नी अब्दुल शकूर देशवाली हिस्सा 125/2904 बतौर खातेदारी, अधिकार, आधिपत्य की आराजियात थी जो खातेदार तमीज बानो के पति अब्दुल शकूर देशवाली ने अपनी पत्नी के नाम खरीद की थी। खातेदार तमीज बानो के एक पुत्र जमील मोहम्मद प्रत्यर्थी सं. 02 और अपीलार्थी पुत्री मुमताज बानो है। तमीज बानो की मृत्यु दिनांक 31/10/2024 को हो गयी। अब्दुल शकूर की मृत्यु दिनांक 08/10/2015 को हुई। खातेदार तमीज बानो की मृत्यु के बाद उक्त आराजियात विरासत के आधार अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सं. 02 के नाम दर्ज होनी चाहिये थी किन्तु खातेदार तमीज बानो एक अवैध विधि विरूद्ध वसीयतनामा दिनांक 05/08/2016 को अपनी पुत्री प्रत्यर्थी सं. 01 शाहीन बानू के पक्ष में निष्पादित करवाया जिसके आधार पर प्रत्यर्थी सं. 03 भूमिधारी ने उक्त अपीलाधीन नामान्तरणकरण शाहीन बानू प्रत्यर्थी सं. 01 के नाम निर्णित किया जो निम्न कारणों से विधि विरूद्ध व निरस्तनीय है।

मुस्लिम विधि अनुसार किसी भी खातेदार या स्वामित्वधारी व्यक्ति को समस्त जायदाद किसी अन्य व्यक्ति को सम्पूर्ण वसीयत करने का अधिकार नही है। केवलमात्र तीसरा हिस्सा ही वसीयत करने के प्रावधान मुस्लिम विधि अनुसार है। खातेदार तमीज बानो मुस्लिम विधि से शास्ति होते है और वसीयतनामा दिनांक 05/08/2016 तमीज बानो ने सम्पूर्ण रूप से वसीयत की है जो शुन्य व विधि विरूद्ध होकर अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सं. 02 के मुकाबले प्रभावी नही है। वसीयतनामा दिनांक 05/08/2016 में आवासीय अरूपान्तरित भूखण्ड सं. बी–1 नपती 20X (50+47.5) 975 वर्गफीट यानि 108.33 वर्गगज बाबत् है जिस पर आवासीय

6-4-26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

मकान होकर प्रत्यर्थी सं. 01 व वसीयतकर्ता तमीज बानो निवास कर रहे है। इस जायदाद को वसीयत की गई है जिसमें राजस्व आराजी सं. 1438/418 रकबा 0.2104 हैक्टेयर का कोई विवरण नही है। इस प्रकार वसीयतनामा उक्त आराजियात के बाबत् नही होकर अपीलाधीन नामान्तरणकरण इस वसीयतनामे के आधार पर निर्णित किये जाने योग्य नही होकर निरस्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी सं. 03 भूमिधारी व उनके राजस्व कर्मचारियों ने उक्त अपीलाधीन नामान्तरणकरण दर्ज करने व निर्णित करने में वसीयत दिनांक 05/08/2016 का हवाला दिया है जबकि इस वसीयत में उक्त आराजियात के खातेदारी बाबत् कोई अंकन नही होकर आवासीय मकान बाबत् अंकन है। अपीलाधीन नामान्तरणकरण उक्त आराजियात के बाबत् गलत निर्णित किया है जो निरस्त योग्य है। खातेदार तमीज बानो के वारिसान अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सं. 02 उक्त आराजी सं. 1438/418 पर काबिज है और विरासत के आधार पर हक, स्वामित्व रखते है जिन्हें बिना पक्षकार बनाये एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन नामान्तरणकरण निर्णित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। भूमिधारी तहसीलदार, माण्डलगढ ने नामान्तरणकरण निर्णित करने से पूर्व वसीयतनामा दिनांक 05/08/2016 की कोई जाँच नहीं की। इस बाबत् अपने कार्यालय में बिना पत्रावली कायम किये हुए, बिना साक्ष्य लिये हुए तथा मौके की स्थिति का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सं. 02 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने तथा उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा यह अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो के सर्वथा विपरीत होकर निरस्त योग्य है।

नामान्तरणकरण के निर्णित होने की जानकारी अपीलार्थी को नही दी गई। सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 31/05/2025 को अपीलार्थी को जबरन प्रत्यर्थी सं. 01 द्वारा बेदखल करने की धमकी दी गई तब से उत्पन्न होकर सतत् जारी है। इस बाबत् धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरणकरण सं. 2063 दिनांक 07/03/2025 ग्राम माण्डलगढ तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा बाबत् आराजी संख्या 1438/418 रकबा 0.2104 हैक्टेयर बाबत् पारित आदेश निरस्त फरमाकर नामान्तरणकरण सं. 2063 दिनांक 07/03/2025 को निरस्त फरमाया जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। विपक्षी 1 के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। विपक्षी–2 बावजूद सूचना अनुपस्थित। विपक्षी–1 व 2 का जवाब व बहस बंद किया जाता है।

बहस पर मनन व विवेचन उपरान्त यह पाया गया कि तहसीलदार माण्डलगढ द्वारा वसीयत नामान्तरण बिना उभयपक्षों की सुनवाई के स्वीकृत किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से अस्वीकार योग्य है। अतः प्रकरण में अपील स्वीकार योग्य ठहरती है, अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट 1956 स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 2063 अस्वीकार कर प्रकरण में तहसीलदार माण्डलगढ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः गुण–अवगुण के आधार पर निर्णय पारित करें । निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डलगढ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत सिंह) 6.4.26
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा